राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमाक : प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक : 20 DEC 2012

1. सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू।
2. सचिव, नगर सुधार न्यास, जैसलमेर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नाथद्वारा।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पुष्कर।

विषय : राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 3(2) के अंतर्गत अनुज्ञा जारी करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 3(2) द्वारा माउण्ट आबू, जैसलमेर, नाथद्वारा एवं पुष्कर के नगरीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना अनुज्ञा जारी नहीं किये जाने के प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के क्रम में प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार लेख है कि संबंधित स्थानीय निकाय में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण करने एवं नियमों में अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी करने के बाद तैयार प्रकरणों को पूर्ण सूचना के साथ संबंधित सचिव, नगर विकास न्यास अथवा संबंधित अधिशाषी अधिकारी एक सप्ताह के भीतर (जो भी लम्बित प्रकरण हो उनके साथ) राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु लेकर आवेंगे।

राज्यपाल की आंज्ञा से ,

(आर0के0पारीक)
उप शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. शासन उप सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव–द्वितीय